(

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक–................................

श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग, औषधि निरीक्षक, पटना–05 के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा आय से अधिक चल एवं अचल सम्पति के मामले में धारा–13(2) सह–पठित धारा–13(1)(बी) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम– 2018) के तहत निगरानी थाना काण्ड संख्या–30/2022, दिनांक–24.06.2022 दर्ज होने की सूचना दी गयी है।

अतएव श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग, औषधि निरीक्षक, पटना–05 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के आलोक में जिवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णिया निर्धारित किया जाता है।

4. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का भी निर्णय लिया गया।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/औ0–14–09/2022 626(15) पटना, दिनांक–........04.07/2022

प्रतिलिपि– महालेखाकार, (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/औ0–14–09/2022 पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णिया/सिविल सर्जन, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना/श्री जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना–05/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।